

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर
पीठासीन अधिकारी - बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 89/2020

1. भैरुराम पुत्र हणमान आयु 61 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

- वादी

बनाम

1. बद्रीराम पुत्र हणमान आयु 61 वर्ष
2. रामनारायण पुत्र हणमान आयु 75 वर्ष
3. नानूराम पुत्र हणमान आयु 70 वर्ष
4. नागरमल पुत्र हणमान आयु 59 वर्ष
5. भुदाराम पुत्र रामनाथ आयु 26 वर्ष
6. जमनादेवी पत्नि रामनाथ आयु 62 वर्ष
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
7. पटवारी, पटवार हल्का कल्याणपुरा (हजफ)
8. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं उद्घोषणा

उपस्थित -

1. श्री विक्रम सिंह बांकावत वकील वादी
2. श्री जितेन्द्र कुमार गौड वकील प्रतिवादीगण 1 ता 6



निर्णय

दिनांक - 28-12-2020

संक्षेप में वाद वादीगण इस प्रकार है कि ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 306, 308, 309, 309/1836, 310, 311, 312, 327, 328, 329, 332, 333, 362, 363, 364, 488, 489, 490/1901, 496, 497 508, कुल किता 21 कुल रकबा 7.21 है 0 में वादी का 1/6 हिस्सा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रीराम पुत्र हणमान दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम भैरुराम पुत्र हणमान है। इसी प्रकार ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 319, 320, 321, 322, 339,




सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

341, 342, 343, 354, 355, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 428/1841, 429, 430, 431, 433, कुल किता 21 कुल रकबा 15.27 है० में वादी का 1/24 हिस्सा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रीराम पुत्र हणमान दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम भैरुराम पुत्र हणमान है। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 6 के पिता एवं दादा /ससुर का नाम हणमान है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 6 हणमान के वारिसान है। बचपन से वादी का घर परिवार में बोलता नाम श्रीराम था। इसलिये उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रीराम अंकित हो गया। जबकि वादी के समस्त सरकारी रिकार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय रिकार्ड में वादी का नाम भैरुराम पुत्र हणमान है। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होने एवं प्रतिवादीगण 1ता 6 को नाम दुरुस्ती हेतु बयान देने हेतु कहने पर मना करने से तथा प्रतिवादी 7 ता 8 को निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्रीराम पुत्र हणमान के स्थान पर भैरुराम पुत्र हणमान दुरुस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 4 व 6 द्वारा इकबालिया जबाब व प्रतिवादी 5 द्वारा जबाब पेश कर अनुतोष स्वीकार किया गया। प्रतिवादी 7 के विरुद्ध वाद विद्वा किया गया। प्रतिवादी 8 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित होने से प्रतिवादी 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

बहस उभय पक्ष सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, इकबालिया जबाब व जबाब प्रतिवादीगण का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि ग्राम सुराणी हल्का कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 306, 308, 309, 309/1836, 310, 311, 312, 327, 328, 329, 332, 333, 362, 363, 364, 488, 489, 490/1901, 496, 497 508, कुल किता 21 कुल रकबा 7.21 है० की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में श्रीराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है। तथा ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा




 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
 श्रीमहाधोपुर (सीकर)

नंबर 319, 320, 321, 338, 339, 341, 342, 343, 354, 355, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 428/1841, 429, 430, 431, 433, कुल किता 21 कुल रकबा 15.27 है० की खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में श्रीराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/24 दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम भैरुराम पुत्र हणमान है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से श्रीराम पुत्र हणमान दर्ज कर दिया है के समर्थन में वादी ने जमाबन्दी संवत् 2017-20 एवं संवत् 2021-24, मिलान क्षेत्रफल, सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (थोई) का प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का नाम भैरुराम पुत्र हणमान दर्ज है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य वादी का शपथ पत्र एवं बतौर गवाह प्रतिवादी का शपथ पत्र प्रस्तुत करवाया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, जबाब-इकबालिया जबाब प्रतिवादीगण, साक्ष्यवादी से वाद वादी बाबत् रिकॉर्ड दुरुस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 306, 308, 309, 309/1836, 310, 311, 312, 327, 328, 329, 332, 333, 362, 363, 364, 488, 489, 490/1901, 496, 497 508, कुल किता 21 कुल रकबा 7.21 है० एवं भूमि खसरा नंबर 319, 320, 321, 338, 339, 341, 342, 343, 354, 355, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 428/1841, 429, 430, 431, 433, कुल किता 21 कुल रकबा 15.27 है० के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार श्रीराम पुत्र हणमान के स्थान पर भैरुराम पुत्र हणमान घोषित एवं दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)